



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022026-270289
CG-DL-E-19022026-270289

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 841]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 17, 2026/माघ 28, 1947

No. 841]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 17, 2026/MAGHA 28, 1947

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2026

का.आ. 881(अ).— केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 4 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय गुणवत्ता परिषद के राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा उपबंधित प्रत्यायन के परिणामस्वरूप, भारत सरकार, खान मंत्रालय के आदेश संख्या एम. VI-16/15/2021-खान VI, तारीख 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी प्रत्यायित निजी खोज अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार “प्रवर्ग ‘क’ खोज अभिकरण” के अधीन मैसर्स साउथ वेस्ट पिनेकल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड को अधिसूचित करती है।

- उक्त अभिकरण, उक्त मार्गदर्शक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन में पूर्वक्षण संक्रियाएं कार्यान्वित करेगा।
- यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी और अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या उसके अवसान तक या अनुदत्त प्रत्यायन की समाप्ति तक, जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य रहेगी।

[फा. सं. एम. VI-16/22/2022-खान VI]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th February, 2026

S.O. 881(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) and consequent upon accreditation provided by the National Accreditation Board for Education and Training of the Quality Council of India, the Central Government hereby notifies M/s South West Pinnacle Exploration Limited under “Category ‘A’ Exploration Agency”, as per the guidelines for notification of accredited private exploration agencies issued by the Government of India, Ministry of Mines, *vide* order number M.VI-16/15/2021-Mines VI, dated the 12th August, 2021.

2. The said agency shall carry out prospecting operations in compliance with the conditions specified in the said guidelines.

3. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette and shall remain valid for a period of five years from the date of notification or till expiry or termination of the accreditation granted, whichever is earlier.

[F. No. M.VI-16/22/2022-Mines VI]

SHAKIL ALAM, Economic Adviser